

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक-प. 5(1)गृह-1/2021 (8940) पार्ट-1 जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षरित दिनांक
आदेश

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)डीओपी/ए-11/95/पीटी दिनांक 16.03.2023 की पालना में दिनांक 01.06.2002 के बाद तीसरी संतान के कारण पदोन्नति से वंचित किये गये अधिकारियों/कार्मिकों के संबंध में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत छाया पदों के विरुद्ध पदोन्नति हेतु राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 28 के अन्तर्गत गठित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 13.01.2026 के द्वारा की गई अभिशंषाओं के अनुसार राजस्थान पुलिस सेवा की **कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की** निम्नांकित वर्षों के पूर्व में जारी पदोन्नति आदेशों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

वर्ष 2014-15

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2014-15 में श्री सोहेल राजा पुत्र श्री बी0 एस0 नाजिस (सामान्य) को पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री धीरेन्द्र कुमार पुत्र नरसिंह दास (सामान्य) के नीचे एवं श्री महमूद खां पुत्र श्री हमीद खां (सामान्य) के उपर निर्धारित की जाती है।

वर्ष 2015-16

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2015-16 में श्री महेश चन्द पुत्र श्री रामहंस (एसटी) को पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री ओम प्रकाश मीणा पुत्र छाजू लाल मीणा (एसटी) के नीचे एवं श्री किशोर कुमार पुत्र श्री श्रीकृष्ण (एससी) के उपर निर्धारित की जाती है।

वर्ष 2017-18

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2017-18 में श्री अब्दुल रहमान पुत्र श्री रशीद खान, (सामान्य), श्री अनूप सिंह पुत्र शैतान सिंह, (सामान्य) एवं श्री सुनील कुमार पुत्र दुर्गालाल, (सामान्य) को पदोन्नत किया जाता है।

श्री अब्दुल रहमान पुत्र श्री रशीद खान की वरिष्ठता श्री विजय कुमार पुत्र श्री यतेन्द्र पाल सिंह, (सामान्य) के नीचे एवं श्री रामनिवास विश्नोई पुत्र श्री हनुमानाराम (सामान्य) के उपर, श्री अनूप सिंह पुत्र शैतान सिंह, (सामान्य) की वरिष्ठता श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री हनुमन्त सिंह, (सामान्य) के नीचे एवं श्री जोगेद्र सिंह पुत्र श्री हेम सिंह (सामान्य) के उपर तथा श्री सुनील कुमार पुत्र दुर्गालाल, (सामान्य) की वरिष्ठता श्री अनूप सिंह पुत्र श्री शैतान सिंह, (सामान्य) के नीचे एवं श्री जोगेन्द्र सिंह पुत्र श्री हेम सिंह (सामान्य) के उपर निर्धारित की जाती है।

श्री सोहेल राजा पुत्र श्री बी0एस0 नाजिस को वर्ष 2014-15 में पदोन्नत किये जाने के कारण वर्ष 2017-18 में चयन के फलस्वरूप किये गये पदोन्नति आदेश निरस्त किये जाते हैं।

वर्ष 2018-19

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2018-19 में श्री मजीत खान पुत्र श्री शफी मोहम्मद (सामान्य) को पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री सीताराम पुत्र श्री प्रभुदयाल, (एससी) के नीचे एवं श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री उम्मेद सिंह, (सामान्य) के उपर निर्धारित की जाती है।

श्री महेश चन्द पुत्र श्री रामहंस, (एसटी) को वर्ष 2015-16 में पदोन्नत किये जाने के कारण वर्ष 2018-19 में चयन के फलस्वरूप किये गये पदोन्नति आदेश निरस्त किये जाते हैं।



वर्ष 2019-20

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2019-20 में श्री कैलाशचन्द पुत्र श्री मालीराम, (एसटी), श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री दयालाराम, (सामान्य), श्री संग्राम सिंह भाटी पुत्र देवी सिंह, (सामान्य), श्री रमेश कुमार शर्मा पुत्र श्री सोहन लाल, (सामान्य) एवं श्री जीवन लाल पुत्र श्री खूब चन्द, (सामान्य) को पदोन्नत किया जाता है।

श्री कैलाशचन्द पुत्र श्री मालीराम, (एसटी) की वरिष्ठता श्री रामेश्वर लाल पुत्र श्री चुन्नी लाल, (सामान्य) के नीचे एवं श्री विजय शंकर पुत्र श्री धन्नालाल, (सामान्य) के उपर, श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री दयालाराम, (सामान्य) की वरिष्ठता श्री गुमानाराम पुत्र श्री मेवाराम, (सामान्य) के नीचे एवं श्री मेघाराम पुत्र श्री बालूराम, (सामान्य) के उपर, श्री संग्राम सिंह भाटी पुत्र देवी सिंह, (सामान्य) की वरिष्ठता श्री रामचन्द्र पुत्र केसरा राम, (सामान्य) के नीचे एवं श्री जितेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री भैरू लाल, (सामान्य) के उपर, श्री रमेश कुमार शर्मा पुत्र श्री सोहन लाल (सामान्य) की वरिष्ठता श्री अन्नराज राजपुरोहित पुत्र श्री बाघ सिंह, (सामान्य) के नीचे एवं श्री रविन्द्र कुमार बोथरा पुत्र श्री चिन्तामन दास (सामान्य) के उपर एवं श्री जीवन लाल पुत्र श्री खूब चन्द, (सामान्य) की वरिष्ठता श्री उमेश गुप्ता पुत्र श्री मोहन लाल गुप्ता, (सामान्य) के नीचे एवं श्री मनीष कुमार पुत्र श्री विनय कुमार, (सामान्य) के उपर निर्धारित की जाती है।

वर्ष 2020-21

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2020-21 में श्री परमेश्वर लाल पुत्र श्री हनुमानाराम, (सामान्य) को पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री अनूप सिंह पुत्र श्री लाल सिंह, (सामान्य) के नीचे एवं श्री सत्यनारायण पुत्र श्री हरि नारायण (सामान्य) के उपर निर्धारित की जाती है।

श्री अब्दुल रहमान पुत्र श्री रशीद खान, (सामान्य), श्री अनूप सिंह पुत्र शैतान सिंह, (सामान्य) एवं श्री सुनील कुमार पुत्र दुर्गालाल, (सामान्य) को वर्ष 2017-18 में पदोन्नत किये जाने के कारण वर्ष 2020-21 में चयन के फलस्वरूप किये गये पदोन्नति आदेश निरस्त किये जाते हैं।

वर्ष 2021-22

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2021-22 में श्री सतीश कुमार पुत्र श्री रामलाल, (एसटी), श्री किशन सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, (सामान्य) एवं श्री किशोर सिंह पुत्र श्री रामनरेश, (सामान्य) एवं श्री रतन सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह, (सामान्य) को पदोन्नत किया जाता है।

श्री सतीश कुमार पुत्र श्री रामलाल, (एसटी) की वरिष्ठता श्री अमर सिंह पुत्र श्री उदय सिंह, (एसटी) के नीचे एवं श्री प्रहलाद राय पुत्र श्री सांवर मल, (एससी) के उपर, श्री किशन सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, (सामान्य) की वरिष्ठता श्री अनुज शुभम पुत्र श्री राम बाबू (एससी) के नीचे एवं श्री नियाज मोहम्मद खान पुत्र श्री मजीत खान (सामान्य) के उपर, श्री किशोर सिंह पुत्र श्री रामनरेश, (सामान्य) की वरिष्ठता श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री भवानी सिंह, (सामान्य) के नीचे एवं श्री मुकेश चौधरी पुत्र श्री जी० एल० चौधरी, (सामान्य) के उपर, श्री रतन सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह, (सामान्य) की वरिष्ठता श्री इन्सार अली पुत्र श्री इशाक अली, (सामान्य) के नीचे एवं श्री राजेश कुमार टेलर पुत्र श्री धीसा राम, (सामान्य) के उपर निर्धारित की जाती है।

श्री मजीत खान पुत्र श्री शफी मोहम्मद को वर्ष 2018-19 में पदोन्नत किये जाने के कारण वर्ष 2021-22 में चयन के फलस्वरूप किये गये पदोन्नति आदेश निरस्त किये जाते हैं।

वर्ष 2022-23

श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री दयालाराम, (सामान्य), श्री संग्राम सिंह भाटी पुत्र श्री देवी सिंह (सामान्य), श्री रमेश कुमार शर्मा पुत्र श्री सोहन लाल, (सामान्य) एवं श्री जीवन लाल पुत्र श्री खूब चन्द, (सामान्य) को वर्ष 2019-20 तथा श्री किशोर सिंह पुत्र श्री रामनरेश, (सामान्य) को वर्ष 2021-22 में पदोन्नत किये जाने के कारण वर्ष 2022-23 में चयन के फलस्वरूप किये गये पदोन्नति आदेश निरस्त किये जाते हैं।

वर्ष 2023-24

श्री सतीश कुमार पुत्र श्री रामलाल, (एसटी) को वर्ष 2021-22, श्री परमेश्वर लाल पुत्र श्री हनुमानाराम, (सामान्य) को वर्ष 2020-21 एवं श्री रतन सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह, (सामान्य) को वर्ष 2021-22 में पदोन्नत किये जाने के कारण वर्ष 2023-24 में चयन के फलस्वरूप किये गये पदोन्नति आदेश निरस्त किये जाते हैं।

वर्ष 2024-25

श्री कैलाशचन्द पुत्र श्री मालीराम, (एसटी) को वर्ष 2019-20 एवं श्री किशन सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, (सामान्य) को वर्ष 2021-22 में पदोन्नत किये जाने के कारण वर्ष 2024-25 में चयन के फलस्वरूप किये गये पदोन्नति आदेश निरस्त किये जाते हैं।

यह पदोन्नति आदेश माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन है।

उक्त अधिकारियों को रिक्ति दिनांक से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रत्नेश कुमार शर्मा)

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, गृह।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (गुप-6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस